राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः एफ.2(6732)/सूप्रौ/संस्था/15/21546S2 जयपुर, दिनांकः 2/8/16

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– भामाशाह योजना के तहत नगद और गैर नगद लाभ वितरण हेतु कार्यरत ''पॉइण्ट ऑफ सर्विस'' के निरीक्षण बाबत।

महोदय,

भामाशाह योजना प्लेटफार्म से लाभ हस्तान्तरण प्रक्रिया के संबंध में आमजन को जानकारी एवं प्रचार–प्रसार तथा इस संबंध में नागरिकों को होने वाली असुविधाओं/शंकाओं के समाधान हेतु सभी जिलों में दिनांक 25 जुलाई से 05 अगस्त, 2016 के मध्य आपके द्वारा ब्लॉक/नगर निकाय स्तर पर **"भामाशाह सुविधा शिविरों"** का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 20.07.2016 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्स के समय आपको निर्देश दिए गए थे कि इन शिविरों के बारे में सघन प्रचार–प्रसार करते हुए व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाये तथा लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया तथा लाभ वितरण सेवा केन्द्रों (पॉइन्ट ऑफ सर्विस) संबंधी समस्त शंकाओं/समस्याओं का समाधान सभी जगह इन शिविरों की समाप्ति दिनांक 05 अगस्त, 2016 से पूर्व सुनिश्चित किया जाये।

आपको विदित है कि भामाशाह योजना के तहत सभी नागरिकों को उनके नकद एवं गैर–नकद लाभ उनके घर के समीप प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाने हेतु इलेक्ट्रोनिक आधारभूत संरचना युक्त "पॉइन्ट ऑफ सर्विस" सम्पूर्ण राज्य में स्थापित किये गये है। आमजन को सेवा लेने में निर्धारित दर से अधिक वसूली, सेवा देने से मनाही एवं सेवा की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी ''पॉइन्ट ऑफ सर्विस'' यथा ई–मित्र कियोस्क, बैंकिंग संवादकर्ता (बीसी)/माइक्रो एटीएम, उचितमूल्य की दुकान स्थित पॉइन्ट ऑफ सेल मशीन आदि की जिला प्रशासन के स्तर पर सतत निगरानी की आवश्यकता है। ''पॉइन्ट ऑफ सर्विस'' से सेवा प्राप्त करते समय आमजन की सुविधा के मध्यनजर आप अपने जिले में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेः–

1. सभी ''पॉइन्ट ऑफ सर्विस'' पर उपलब्ध सेवाओं एवं दर सूची जानकारी प्रदर्शित करते हुये वॉल पेन्टिंग करवाई जाये। (वॉल पेन्टिंग पर होने वाला व्यय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा वहन किया जायेगा)
2. ''पॉइन्ट ऑफ सर्विस'' पर संचालक/मालिक का पूर्ण विवरण मय सम्पर्क नम्बर अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. किसी भी ''पॉइन्ट ऑफ सर्विस'' (ई–मित्र कियोस्क/बैंकिंग संवादकर्ता–बीसी/ ई–पीडीएस पॉइन्ट ऑफ सेल आदि) संचालक द्वारा अधिक राशि चार्ज करने/सेवा देने से मनाही करने/अन्य अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारी (न्यूनतम ब्लॉक स्तरीय अधिकारी) से जांच करवाकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के पत्र दिनांक 28.07.2016 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. सभी ''पॉइन्ट ऑफ सर्विस'' नियमित रूप से खुलें, यह सुनिश्चित किया जाये।

5. सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय इन केन्द्रों का निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाये तथा निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग सहित जिला कलक्टर को प्रेषित की जाये।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए नागरिकों को भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म से मिलने वाली सेवाएं पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से मिलना सुनिश्चित की जाये। ई–मित्र कियोस्क, बैंकिंग संवादकर्ता एवं उचित मूल्य दुकान आदि के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को सभी अधिकार प्राप्त हैं, अतः यदि किसी भी जिले से "पॉइन्ट ऑफ सर्विस" के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य स्तर पर आती है तो इसे अन्यथा लिया जाकर स्थानीय अधिकारियों की असफलता मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(ओ॰ मी॰ मीणा)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप–निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, समस्त जिला ....
3. सहायक / उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला ....
4. उपखण्ड / विकास अधिकारी, समस्त जिला..
5. रक्षित पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव
सू. प्रौ. और संचार विभाग